

उपरोक्त फोटो के बावजूद जति नं० २१/१०३/५
साबित नहीं। क्वीट नारी साम्प्रत तत्काल
एडवोकेट के अनुसार किया। अचल, ०९/१५
CPL के तहत कार्यवाही की जायेगी। मांगी
वापस लेनी दिनांक २०/११/२५ को पत्र के

२५/११/२५ आप सहायता प्रेषित है। अति. उभयपुत्र हाफिद
नसी - शायालय का कार्य करके आवासे प्रशास
गिरा। अतिवसत्रा उभयपुत्र एवं नारी एवं प्रतिवादिगल
हाफिद नारी काय। मुझे वही कार्य प्रतिवादिगल
की तहत कार्यवाही करे हो अतः उक्त कार्य के लिए
पत्र अलग फेरवी, अलग हाफिद एवं अलग फेरवी
के तहत कार्रवाई किया जाता है। आवश्यक भविष्य
द्वारा सम्बन्धि कर ले।
अधिकारी शायालय निसुकाय



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

